

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 आनन्दसिंहपुरा

अनुवान मनफूल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 614/2025

निर्णय दिनांक 24/12/25

मनफूल पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी आनन्दसिंहपुरा तहसील तारानगर जिला चूरु

बनाम

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अप्रार्थी

-::निर्णय::-

प्रार्थीगण द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 आनन्दसिंहपुरा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 53 एवं 75 रोही ग्राम आनन्दसिंहपुरा तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम फूलाराम पुत्र लिछमणराम एवं फुलाराम पुत्र लिछमणराम दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम मनफूल पुत्र लिछमणराम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम फूलाराम पुत्र लिछमणराम एवं फुलाराम पुत्र लिछमणराम के स्थान पर मनफूल पुत्र लिछमणराम किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः खाता संख्या 53 एवं 75 रोही ग्राम आनन्दसिंहपुरा तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण का नाम फूलाराम पुत्र लिछमणराम एवं फुलाराम पुत्र लिछमणराम Delete कर इसके स्थान पर मनफूल पुत्र लिछमणराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 आनन्दसिंहपुरा में

लिखाया जाकर पुनर्पत्र भेजा।



Rajendra
राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)